तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02-06-25	पत्रावली पेश हुई । दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार समदडी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट को रेकर्ड में लिया जाता है। प्रार्थना पत्र पर दोनो पक्षो के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता की दलील है कि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 255 के बदिशा दक्षिण की तरफ स्थित खसरा विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 1347/416, 1422/416, 1416/416, 1205/416, 1489/416 व 415 में प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु एक मात्र निकटतम रास्ता है प्रार्थी को उक्त रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है, लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित भूमि को राजस्व रेकर्ड में गै.मु.रास्ता दर्ज किया जावे प्रार्थी प्रस्तावित रास्ते के क्षतिपूर्ति के रूप में विप्रार्थीगण को दुगनी राशि देने को सहमति है। विप्रार्थी अधिवक्ता की दलील है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते खसरा संख्या 1422/416, 1416/416 व 1489/416 की भूमि अब खातेदारी भूमि नहीं रही भूमि कि किस्त बदलने से उसका उपयोग उपभोग आवासीय भूमि में होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत रास्ता नहीं दिया जा सकता है लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमया जावे। हमने दोनो पक्षो के अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तथा तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरता से अवलोकन एवं मनन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो का विवेचन किया। तहसीलदार समदडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खेत से कटान मार्ग तक आवगमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं होना तथा प्रस्तावित रास्ता ही अन्य विकल्पो मे से सबसे निकटतम होना बताया परन्तु तहसीलदार समदडी ने यह रिपोर्ट में यह भी कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते की भूमि खसरा संख्या 1422/416, 1416/416 व	

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	की हुए

1489/416 की भूमि की किस्म गै.मु. आवासीय होने से मौके पर प्लॉट की नींव भरी हुई है तथा खसरा संख्या 1205/416 में दीवार निर्मित है जो रास्ते के मध्य में आयेगी , खसरा संख्या 415 में विद्युत लाईन व डीपी लगी हुई है तथा प्रस्तावित रास्ते पर विद्युत खम्भे लगे हुये जिससे विद्युत लाईन निकल रही है। विधिनुसार जैसे ही किसी कृषि भूमि का नियमन या संपरिवर्तन गैर कृषि कार्य के लिए हो जाता है वह जमीन राजस्व रिकॉर्ड से बाहर हो जाती है। संपरिवर्तित भूमियों पर टेनेन्सी एक्ट लागू नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित भूमि खसरा संख्या 1422/416, 1416/416 व 1489/416 की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में गै.मु. आवासीय दर्ज होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत रास्ता नहीं दिया जा सकता है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 02.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)